निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-37/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-**III,** वाणिज्य कर, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-**III,** वाणिज्य कर, विकासनगर के माह 04/15 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी, व0ले0प0, एवं श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी0एम0त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.06.2017 से 30.06.2017 तक श्री ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा कु0सरुनी शर्मा (ले0प0) एवं श्री पी0के0गुप्ता एवं श्री दीपक मालवीय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.04.15 से 29.04.15 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2009 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – पूरोला, मोरी, बड़कोट, त्यूणी (संविदाकार)
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	393.02
2015-16	489.80
2016-17	454.76

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय `	अभ्यर्पित राशि
	शून्य		

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -सी----श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में ..... को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्ययः माह .....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 आई0टी0सी0 रिर्वस न किये जाने से राजस्व क्षति ₹0.75 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगा जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा मे विनिर्दिष्ट है किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये।

असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-III, वाणिज्य कर, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि -

1. व्यौहारी सर्वश्री जैन ट्रेडर्स क0नि0 वर्ष 2013-14 मे प्रांतीय खरीद पर कुल आई0टी0सी ₹ 388682/- का लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था। पत्रावली मे संलग्न क्रय सूची के जांच मे पाया गया कि ₹872098/- का Fruit drink के खरीद की गयी जिस पर 13.5% की दर से आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था। जबकि उपरोक्त वस्तु नियमानुसार 5 की दर से आई0टी0सी0 देय था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा Fruit drink की कुल खरीद ₹ 872098/- पर अन्तरीय दर 8.5% की दर से ₹74128/- का आई0टी0सी रिर्वस योग्य था एवं नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बताया गया कि व्यापारी द्वारा अपनी खरीद सूची मे लिपिकीय त्रुटिवश कोल्ड ड्रिंक की जगह फ्रूट जूस अंकित कर दी गयी थी। साक्ष्य के रुप मे बिल प्रस्तुत कर दिये जायेगे। लेखापरीक्षा तिथि तक बिल प्रस्तुत नहीं किया गये।

2. व्यापारी सर्वश्री अरुण कुमार, निखिल कुमार क0नि0 वर्ष 2012-13 मे प्रान्तीय खरीद पर ₹85258/- का आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया था। पत्रावली मे संलग्न क्रय सूची के जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री राम गोपाल श्याम लाल का टिन नं0-050060889 इंटरनेट के जांच मे सही नही पाया गया।

इस प्रकार सर्वश्री राम गोपाल श्याम लाल से खरीद पर लिया गया आई0टी0सी ₹ 1680/- रिर्वस योग्य है एवं नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया कि संबंधित व्यापारी का टिन नं कुल नौ डिजिट का है। लिपिकीय त्रृटिवश हुआ है। सही टिन की जांच कर अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण उच्चधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया।

STAN

प्रस्तर-01 "ब्याज की धनराशि कम वसूल किया जाना ₹ 0.37 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की 34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही किया जाता है तो ऐसी धनराशि पर जमा करने के दिनांक तक 15 % वार्षिक ब्याज देय होगा।

असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-III, वाणिज्य कर, विकासनगर नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सुमत प्रसाद सतीश कुमार जैन, न्यू मार्केट, पुरोला कर निर्धारण वर्ष 2013-14 पर ₹ 12974/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया जिस पर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था। व्यापारी द्वारा राशि ₹ 15300(12974+ब्याज ₹2326) दिनांक 08.11.2016 को जमा करा दिया गया था किन्तु उक्त तिथि तक ब्याज की राशि ₹ 6038/- बनती थी। इस प्रकार ₹3712/- की अन्तरीय धनराशि आरोपणीय थी।

इस संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जाचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
01/2015-16	-	3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु असिस्टेंट कमिश्नर **(**क0नि0**)** खण्ड-**III,** वाणिज्य कर, विकासनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री योगेश मिश्रा	असिस्टेंट कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-**III,** वाणिज्य कर, विकासनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र